परिवादी अरविन्द सहित श्री ब्रजराज गुर्जर अधि.। आरोपीगण रामरूप, शिव सिंह एवं श्रीमती ममता देवी सहित श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आवेदक अरविन्द पुत्र , निवासी:— ग्राम बाराहेट, जिला—भिण्ड ने उनके अधिवक्ता श्री ब्रजराज गुर्जर के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 294 एवं 323/34 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी / आहत अरविन्द अभियोजित अपराध की धारा 294 एवं 323 / 34 भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री ब्रजराज गुर्जर अधिवक्ता द्वारा की है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजित की धारा 294 एवं 323 / 34 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 294 एवं 323 / 34 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।